अटल बिहारी वाजपेयी
सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

(मध्यप्रदेश शासन का स्वशासी संस्थान)

वार्षिक प्रतिवेदन

(01 अप्रैल 2014 – 31 मार्च 2015)

Annual Report

(1st April 2014 – 31st March 2015)

आई.एस.ओ. 9001:2008 प्रमाणित संस्थान

कार्यालयः सुशासन भवन, भदभदा चौराहा,

टी.टी. नगर, भोपाल–462003

दूरभाष: + 91-755- 2777316, 2777317, 2777308, 2770367, 2770765, Fax-2777316

ई–मेल: aiggpa@mp.gov.in, वेबसाईट: aiggpa.mp.gov.in

अटल बिहारी वाजपेयी
सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2014–15

विषय–सूची

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	**अध्याय– एक** **संस्थान संबंधी सामान्य जानकारी**	
	1.1 संस्थान की स्थापना	1
	1.2 संस्थान के मुख्य उद्देश्य	1
	1.3 संस्थान की अवधारणा (Vision)	2
	1.4 संस्थान के ध्येय (Mission)	2
	1.5 संस्थान की कार्यप्रणाली	3
	1.6 संस्थान के कार्य स्तंभ	3
	1.7 संस्थान के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ	3
	1.8 संस्थान के संकल्प	4
2	**अध्याय– दो** **वर्ष 2011–12 की मुख्य गतिविधियॉ**	
	2.1 इंटर्नशिप कार्यक्रम	5
	2.2 मध्यप्रदेश ''दृष्टिपत्र–2018'' के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 पर कार्यवाही	6
	2.3 ''आइडियाज़ फॉर सीएम'' बेवपोर्टल	7
	2..4 शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन	
	2.4.1 राष्ट्रीय हरित कोर ''ईको क्लब'' गतिविधियो का प्रभाव आंकलन अध्ययन	8
	2.4.2 दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	8
	2.4.3 लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	9
	2.4.4 तेजस्वनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन	9
	2.4.5 स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन	10
	2.4.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अर्न्तगत थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग	

	एवं एवेल्यूशन	10
	2.4.7 वर्चुअल क्लास कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन	11
	2.4.8 पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन	11
	2.4.9 चल पशु चिकित्सा सेवा का प्रभाव आकलन अध्ययन	12
	2.4.10 मध्यप्रदेश में स्थापित लोक सेवा केंद्रो का सर्वेक्षण कार्य	12
	2.5 ''Strengthening of School Governance'' विषय पर ''स्ट्रेटजी पेपर''	13
	2.6 संस्थान के आई.एस.ओ 9001:2008 प्रमाणीकरण हेतु पहल	14
	2.7 नवाचारों का डाक्यूमेंटेशन	15
3	**अध्याय– तीन** **वित्तीय प्रतिवेदन**	16
4	**अध्याय– चार** **नियुक्तियॉं**	
	4.1 संस्थान के महानिदेशक की नियुक्ति	17
	4.2 संस्थान के प्रबंधक (वित्त) की नियुक्ति	17
5	**अध्याय– पाँच** **कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग**	18
5	**अध्याय– छः** **संस्थान की गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी**	
	6.1 संस्थान की गवर्निंग बॉडी	19
	6.2 संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी	20
6	**परिशिष्ट–1** **इन्टर्नशिप कार्यक्रम वर्ष 2014–15**	21

अध्याय– एक

संस्थान संबंधी सामान्य जानकारी

1.1 संस्थान की स्थापना–

मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ/6–3/2011/61/लोसेप्र दिनांक 13.12.2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। संस्थान का दिनांक 20.01.2012 को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन पंजीयन किया गया है। संस्थान की गवर्निंग बॉडी की प्रथम बैठक दिनांक 07 मई, 2014 में संस्थान का नाम बदलकर ''अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान'' करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के अनुक्रम में दिनांक 02 जून, 2014 को संस्थान का नाम परिवर्तन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है।

1.2 संस्थान के मुख्य उद्देश्य–

(i) सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय (Global Local) परिप्रेक्ष्य में ''थिंक टैंक'' के रूप में कार्य करना। शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन करना।

(ii) लोक प्रशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, कार्य योजना बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सहायता करना।

(iii) उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा ई–प्रशासन के कार्यक्रमों का संकलन कर उनका विस्तारण करना।

(iv) प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं उनके स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन संबंधी परामर्श देना।

(v) लोक प्रशासन के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करना, जिनमें परिवर्तन एवं सुधार से प्रशासनिक परिणामों तथा उपलब्धियों पर अधिकतम सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो।

(vi) प्रशासन को जन–केन्द्रित बनाने के लिये स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिये मंच उपलब्ध कराना।

(vii) स्थानीय निकाओं, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं के लिये कार्यक्रमों की संरचना एवं संचालन, एक्शन रिसर्च एवं प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमों के लिये तकनीकी परामर्श एवं सेवायें उपलब्ध कराना।

(viii) लोक सेवा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन।

(ix) स्वैच्छिक संगठन की क्षमता विकसित करने के उपाय।

(x) गवर्निंग बॉडी के द्वारा निर्धारित कोई ऐसा कार्य जो उपरोक्त उद्देश्यों से कवर नहीं होता हो।

1.3 संस्थान की अवधारणा (Vision)–

"सुशासन जो सबको समान अवसर प्रदान करे एवं जिसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना हो।"

("Equal opportunity to all through Good Governance geared to improve the quality of lives of our People").

1.4 संस्थान के ध्येय (Mission) –

"Knowledge Resource Hub और Repository के निर्माण एवं अन्य माध्यमों द्वारा सुशासन के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के विकास का प्रयास, सुनिश्चित करना, जिससे शासन को अधिक पारदर्शी, सहभागी, जनकल्याण केन्द्रित तथा जिम्मेदार और सुदृढ़ बनाया जा सके" ।

("Develop Knowledge Resource Hub and Repository and other strategies, to motivate and encourage strengthening of Good Governance which is more transparent, participative, accountable and focused on improving the quality of lives of our people").

1.5 संस्थान की कार्यप्रणाली –

संस्थान स्वशासी संस्था के रूप मे संचालित है। संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्रीजी एवं कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष संस्थान के महानिदेशक है। संस्थान की गतिविधियां महानिदेशक, संचालक, कार्यक्रम समन्वयक (Programme Coordinators)/परियोजना अधिकारी (Project Officers)/ रिसर्च एसोसियटस (Research Associates)/रिसर्च फैलो (Research Fellows), तथा प्रशासनिक स्टाफ के सहयोग से संचालित होती है। परियोजनाओं से संबंधित विशिष्ट परामर्शदायी विशेषज्ञ/सलाहकार (Distinguished Specialists/Advisors), विशिष्ट फेलो/कन्सलटेंट (Distinguished Fellows/ Consultants) तथा कार्यक्षेत्र अनुभवी विशेषज्ञ (Experts with Field Experience) से भी सहयोग लिया जाता है।

1.6 संस्थान के कार्य स्तंभ–

- शोध, नीति विश्लेषण एवं विकास
- सुशासन के लिए क्षमता विकास को प्रोत्साहन
- प्रबंधन तकनीकियों का सुशासन के लिये उपयोग

1.7 संस्थान के कार्यक्षेत्र की दिशाएँ–

- शासन में नवाचार
- सेवाओं में सुधार और *grassroots* तक विस्तार

- शासन का विकेन्द्रीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास
- शासन में आम समाज की साझेदारी
- ई–शासन
- सुशासन के लिए knowledge hub और repository का निर्माण
- समान उद्देश्यों वाली अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग एवं समन्वय की स्थापना
- सुशासन को प्रोत्साहन

1.8 संस्थान के संकल्प–

- सुशासन संबंधी नीतियों के पालन में शासन को सहयोग प्रदान करने के लिए संस्थान संकल्पित है।
- संस्थान विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन स्थापित करने को प्रोत्साहित करेगा।
- आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के प्रयासों में संस्थान सहयोगी होगा।

––00––

अध्याय– दो

वर्ष 2014–15 की मुख्य गतिविधियॉ

2.1 इन्टर्नशिप कार्यक्रम–

शासन तंत्र से आई.आई.एम, आई.आई.टी., ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट एवं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों के प्रबंधन प्रशिक्षणार्थियों को जोड़ने हेतु वर्ष 2008–09 से इंटर्नशिप व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिवर्ष इन्टर्नस् का चयन उपरोक्त संस्थानों के एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों में से किया जाता है। चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित होती है–

- इन्टर्नशिप व्यवस्था की जानकारी प्रतिवर्ष माह सितम्बर में सभी विभागों को प्रेषित करते हुए आगामी वर्ष मे अप्रैल से जुलाई के अंतराल में अध्ययन हेतु योजनाओ संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है।
- इंटर्न की योग्यता और रूचि को ध्यान में रखते हुये संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी तथा संस्थान के कोर स्टाफ द्वारा प्राथमिक रूप से चुने गये आवेदकों का वीडियोकांफ्रेंस/टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार के पश्चात् चयन किया जाता है।
- शासकीय विभागों द्वारा चिन्हित नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के अध्ययन के लिये इंटर्न की मेन्टरिंग एवं अध्ययन हेतु समन्वय का कार्य संस्थान के कोर स्टाफ द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक इंटर्न द्वारा अध्ययन उपरांत अपने सुझाव एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किये जाते है।

वर्ष 2014–15 में इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंतर्गत देश की विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थाओं से 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंर्तगत कुल 06 इन्टर्नस् का चयन किया गया। चयनित इंटर्नस् आई.आई.टी–कानपुर, आई.

आई.टी–रूड़की, आई.आई.टी–मद्रास एवं एन.ए.ए.आर.एम–हैदराबाद के छात्र थे। चयनित इन्टर्नस द्वारा जल संसाधन विभाग, एकीकृत बाल विकास योजना तथा मध्यप्रदेश ग्रह एवं अद्योसंरचना निर्माण बोर्ड से संबंधित विषयों पर अध्ययन कार्य किया गया है। इंर्टस एवं उनके द्वारा किए गए प्रोजेक्ट का विवरण परिशिष्ट–1 पर देखा जा सकता है।

वर्ष 2015–16 के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम अंर्तगत 8 इन्टर्नस् का चयन किया गया। चयनित इंटर्नस् आई.आई.एम–इंदौर, आई.आई.टी–कानपुर, आई.आई.टी–मद्रास एवं ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट–भुवनेश्वर के छात्र थे। चयनित इन्टर्नस द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश ग्रह एवं अद्योसंरचना निर्माण बोर्ड, उद्योग संचालनालय तथा सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल से संबंधित विषयों पर अध्ययन कार्य किया जाएगा।

2.2 मध्यप्रदेश ''दृष्टिपत्र–2018'' के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 पर कार्यवाही–

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ''दृष्टिपत्र–2018'' डॉक्यूमेंट बनाया गया है। दृष्टि पत्र–2018 के बिन्दु क्रमांक 16.5.2 अनुसार विभागीय अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने एवं इन्हें दूर करने का कार्य किये जाने का प्रावधान किया गया है एवं यह कार्य संस्थान को सौंपा गया। संस्थान द्वारा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर विभागीय अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने एवं इन्हें दूर करने का कार्य किया जा रहा है।

संस्थान द्वारा प्रथम चरण में वित्त विभाग द्वारा चिन्हित निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अतिरेकता को पहचानने एवं इन्हें दूर करने का कार्य ''कंसल्टेन्ट्स'' के माध्यम से संपादित किया गया हैः–

क्र.	अधिनियमों/नियमों का विवरण
1	म.प्र. सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 1977
2	मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1974 एवं इसके अर्न्तगत बने नियम
3	सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
4	मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पद ग्रहणकाल) नियम 1982
5	मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम

संस्थान द्वारा उपरोक्त अधिनियमों/नियमों में संशोधन का कार्य पूर्ण कर प्रस्तावित संशोधन विभाग के सुझाव हेतु प्रेषित किए गए है।

इसी कड़ी में संस्थान द्वारा संचालनालय पशुपालन के अनुरोध पर पशुपालन विभाग के विभागीय प्रक्रिया मेन्युअल को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

2.3 "आइडियाज़ फॉर सीएम" बेवपोर्टल–

संस्थान द्वारा आम नागरिकों को प्रदेश के विकास से जोड़ने हेतु एवं विकास हेतु आम नागरिकों के सुझाव प्राप्त करने हेतु "आइडियाज़ फॉर सीएम" पोर्टल जनवरी 2009 से संधारित किया जा रहा है। पोर्टल पर पर प्राप्त आईडियाज के विश्लेषण एवं अनुश्रवण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन है। नागरिकों द्वारा किसी आईडिया को प्रेषित करते ही उन्हें ई–मेल के माध्यम से आईडिया प्राप्त होने की सूचना दी जाती है। आईडिया की प्रारंभिक छानबीन के उपरांत यदि आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उस आईडिया को पंजीकृत कर संबंधित विभाग को अभिमत हेतु ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है। साथ ही सुझावकर्ता को भी ई–मेल के माध्यम से उसके सुझाव के पंजीयन की सूचना देते हुए एक आई.डी. एवं पासवर्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से सुझावकर्ता उनके आईडिया पर समय–समय पर की गई कार्यवाही की स्थित जान सकते है। यदि प्रारंभिक छानबीन के उपरांत आईडिया अग्रिम विश्लेषण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उस स्थित में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचना दी जाती है। पंजीकृत आईडिया पर विभाग का अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त पुनः आईडिया का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है। तदोपरान्त आईडिया के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के संबंध में भी सुझावकर्ता को ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जाता है।

2.4 शासकीय नीति/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का आंकलन–

संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य शासकीय नीतियों/कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव के आंकलन करना है। इसी कड़ी मे संस्थान द्वारा निम्नलिखित योजनाओ के प्रभाव आंकलन का कार्य प्रांरम्भ किया गया हैः–

2.4.1 राष्ट्रीय हरित कोर ''ईको क्लब'' गतिविधियो का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा संचालित एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय हरित कोर योजना अंतर्गत ''ईको क्लब'' गतिविधियों के आंकलन का कार्य एप्को द्वारा संस्थान को सौपा गया है। संस्थान द्वारा अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के छः जिले नामतः धार, अनूपपुर, मण्डला, शिवपुरी, सिहोर एवं छतरपुर जिले का चयन किया गया।

अध्ययन हेतु शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के कुल 156 स्कूलों के प्राचार्य, ईको क्लब प्रभारी शिक्षकों तथा ईको क्लब सदस्यों के साथ प्रत्येक चयनित जिले के मास्टर ट्रेनर्स एवं सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास)/जिला शिक्षा अधिकारियों को चयनित किया गया।

संस्थान द्वारा लक्षित हितधारकों से योजना के संबध मे उनकी राय एवं अपेक्षाए जानने तथा योजना प्रभाव के आंकलन हेतु पांच विस्तृत प्रश्नावलियों निर्मित कर आंकड़ों का संग्रहण किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण पूर्ण कर अध्ययन प्रतिवेदन अक्टूबर 2014 में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) को प्रेषित किया गया।

2.4.2 दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

कार्यकारी निकाय के निर्देशों के परिपालन में संस्थान द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की दीन दयाल अन्त्योदय उपचार योजना का अध्ययन संस्थान के स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से प्रारंभ किया गया है। अध्ययन हेतु प्रत्येक राजस्व संभाग से रेन्डम आधार पर एक जिले का चयन किया गया है। प्रत्येक जिले से बी.पी.एल. जनसंख्या के

आधार पर दो विकासखंडो को अध्ययन हेतु चयनित करते हुए प्रत्येक विकासखंड से आठ ग्रामो का चयन किया गया है। अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक ग्राम से छः लाभार्थी परिवारों का चयन कर प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है।

इस प्रकार 10 जिले नामत– सतना, सागर, इन्दौर, देवास, ग्वालियर, मुरैना, डिन्डौरी, जबलपुर, सिहोर एवं बैतूल के 20 विकासखंड के 160 ग्राम के 960 लाभार्थी परिवारों एवं प्रत्येक चयनित जिले तथा विकासखण्ड के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अध्ययन में शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा विभिन्न हितधारकों से आंकड़ो के संग्रहण हेतु अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण किया गया। संस्थान द्वारा आंकड़ों का संग्रहण पूर्ण किया गया तथा आंकड़ों का विश्लेषण कर मई 2014 में अध्ययन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रेषित किया गया।

2.4.3 लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

कार्यकारी निकाय के निर्देशों के परिपालन में संस्थान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों से किया गया है। अध्ययन हेतु प्रदेश के 6 जिलों की 18 परियोजनाएं चयनित की गईं है। तीन प्रकार के उत्तरदाताओं– हितग्राही (1934), नवविवाहिता एवं किशोरी बालिकाएं (1303) तथा 91 पात्र किन्तु लाभ नहीं लिया, इस प्रकार कुल 3,328 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा लाभार्थियो से आंकड़ो के संग्रहण हेतु तीन अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ो का संग्रहण पूर्ण किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर जुलाई, 2014 में प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.4.4 तेजस्वनी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

संस्थान द्वारा महिला वित्त एवं विकास निगम के अनुरोध पर महिला सशक्तिकरण संचालनालय द्वारा संचालित एवं ''अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष'' द्वारा वित्त पोषित ''तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम'' का प्रभाव आंकलन

अध्ययन तीन जिलों में प्रारंभ किया गया है। तीन जिलों में 15 लोकेशन केन्द्र के 300 समूहों के 1191 समूह सदस्यों, 586 समूह पदाधिकारियों एवं 58 सामुदायिक संगठकों, इस प्रकार कुल 1835 उत्तरदाताओं को अध्ययन में शामिल किया गया है। संस्थान द्वारा विभिन्न हितग्राहियो से आंकड़ो के संग्रहण हेतु अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ो का संग्रहण पूर्ण कर लिया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण कर संस्थान द्वारा जुलाई, 2014 में प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.4.5 स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारो का आर्थिक स्तर सुधारने एवं उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश में स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। भारत शासन के ग्रामीण विकास विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय सहयोग से मध्यप्रदेश में योजना की क्रियान्वयन संस्था ''सेंटर फॉर रिसर्च एंड इण्डस्ट्रियल स्टॉफ परफॉरमेन्स (क्रिस्प), भोपाल'' है। योजना का उद्देश्य राज्य के 12 जिलो से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 10,000 युवाओं को आवश्यक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। संस्थान द्वारा विभिन्न हितधारकों से उद्देश्य के संबंध में आंकड़ो के संग्रहण हेतु चार अलग–अलग प्रश्नावालियों का निर्माण– प्रशिक्षणार्थियो के लिये, योजनांतर्गत रोजगार प्राप्त हितग्राही के लिये, योजनांतर्गत रोजगार छोड़ चुके हितग्राही के लिये तथा रोजगार प्रदाता उद्योग के लिये किया गया है। संस्थान द्वारा आंकड़ो के संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन जून 2015 में संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.4.6 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अर्न्तगत थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एवं एवेल्यूशन–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एवं एवेल्यूशन का कार्य किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा संस्थान को सौपा गया है। संस्थान द्वारा

विभाग से चर्चा कर अध्ययन हेतु छः जिलो (देवास, रायसेन, कटनी, शहडोल, धार एवं हरदा) का चयन किया गया। संस्थान द्वारा अध्ययन के लिए प्रश्नावली का निर्माण कर क्षेत्र अन्वेषको के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। संस्थान द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण कर जून 2014 में प्रतिवेदन संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया है।

2.4.7 वर्चुअल क्लास कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन अध्ययन–

प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में वर्चुअल क्लास रूम परियोजना संचालित है। यह परियोजना प्रदेश के 313 विकासखंड मुख्यालयों (89 आदिवासी विकासखण्ड तथा 224 सामान्य विकासखण्ड) में यथास्थिति स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा चिन्हित 01 शासकीय उत्कृष्ट/सामान्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 313 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण एवं दूरस्थ अंचलों तक गुणवत्ता एवं अबाधित शिक्षा सुलभ कराने के उद्धेश्य से सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग कर शासकीय महाविद्यालयों में भी वर्चुअल क्लास रूम योजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना की क्रियान्वन एजेंसी मैप आई.टी. (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा परियोजना के अध्ययन का कार्य संस्थान को सौंपा गया है। अध्ययन हेतु संस्थान द्वारा चेक लिस्ट एवं चार साक्षात्कार अनुसूची– विद्यार्थी हेतु, व्याख्याता/प्राचार्य हेतु, जिला ई–गवर्नेंस मेनेजर/असिसटेंट ई–गवर्नेंस मेनेजर हेतु, मास्टर ट्रेनर/ई–व्याख्याता (विशेषज्ञ शिक्षक)/टेली टीचर हेतु, तैयार की गई है। आकंड़ों के संग्रहण का कार्य आगामी वर्ष 2015–16 मे किया जायेगा।

2.4.8 पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन–

आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप योजना के तृतीय पक्ष मूल्यांकन का कार्य संस्थान द्वारा किये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्थान द्वारा इस पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर विभाग के अभिमत हेतु प्रेषित किया गया था।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा मार्च 2014 में अध्ययन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। संस्थान द्वारा आगामी वर्ष 2015–16 में अध्ययन कार्य पूर्ण किया जायेगा।

2.4.9 चल पशु चिकित्सा सेवा का प्रभाव आकलन अध्ययन–

पशुपालन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा चल पशु चिकित्सा सेवा का प्रभाव आंकलन अध्ययन का कार्य संस्थान द्वारा कराये जाने का अनुरोध किया गया है। संस्थान द्वारा इस पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए योजना के मूल्यांकन हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर विभाग के अभिमत हेतु प्रेषित किया गया था। संस्थान द्वारा अध्ययन हेतु 03 जिले– धार, अनुपपुर एवं मण्डला के छः विकासखंडों के 24 गाँव को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। प्रत्येक ग्राम से 30 लाभार्थियों, इस प्रकार कुल 720 लाभार्थियों से चर्चा कर ऑकड़ों का संग्रहण किया जायेगा। संस्थान द्वारा आगामी वर्ष 2015–16 में अध्ययन कार्य पूर्ण किया जायेगा।

2.4.10 मध्यप्रदेश में स्थापित लोक सेवा केंद्रो का सर्वेक्षण कार्य–

''मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010'' नागरिक अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य शासन का उल्लेखनीय कदम है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित एवं जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा अधिसूचित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में 336 लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन लोक सेवा केन्द्रों के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता के प्रभाव आंकलन अध्ययन का कार्य ''म.प्र. राज्य लोक सेवा अभिकरण'' द्वारा संस्थान को सौपा गया है। संस्थान द्वारा इस कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित कर निम्नलिखित चार संस्थाओं को सर्वेक्षण कार्य हेतु चिन्हित किया गया हैः–

1. समर्थन, भोपाल,
2. सेंटर फॉर रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली,
3. गायत्री रूरल एजुकेशन सोसायटी, श्रीकाकुलम, आंध्रप्रदेश एवं
4. विमर्श, गुड़गांव, हरियाणा।

संस्थान द्वारा सर्वेक्षण के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है। सर्वेक्षण के द्वितीय चरण मे 197 लोक सेवा केन्द्रों का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण मे मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु शामिल किये गये हैः–

1. लोक सेवा केन्द्रों में हार्डवेयर, स्वान, ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, नागरिक सुविधाओं, मानव संसाधन की उपलब्धता एवं केन्द्र के कर्मचारियों का लाभार्थियों के प्रति व्यवहार।
2. विभिन्न सेवाओं के लिये लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लिये जा रहे शुल्क एवं उसकी प्रक्रिया की जानकारी।
3. जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों में उनके क्षेत्र मे स्थापित लोक सेवा केन्द्र की जानकारी का स्तर एवं लोक सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदाय की जा रही सेवा के प्रति संतुष्टि का स्तर।
4. लोक सेवा केन्द्रों के संचालन में आ रही समस्याओं एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव।

प्रभाव आंकलन अध्ययन के लिये चार प्रश्नावलियों का निर्माण किया गया है– लोक सेवा केन्द्र के लाभार्थियों के लिए, जनप्रतिनिधियों/आम नागरिकों के लिए, लोक सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों के लिए तथा पदाभिहित अधिकारियों के लिए। इन प्रश्नावलियों के माध्यम से सर्वेक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जानकारी संबंधित स्टेक होल्डर्स से प्राप्त की गई है। संस्थान द्वारा सर्वेक्षण संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों का संकलन एंव विश्लेषण किया जा रहा है एवं विश्लेषण उपरांत प्रतिवेदन राज्य लोक सेवा अभिकरण को प्रेषित किया जायेगा।

2.5 ''Strengthening of School Governance'' विषय पर ''स्ट्रेटजी पेपर''–

भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 लागू किया गया है, जिसे सामान्य बोल–चाल की भाषा में ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' कहा जाता है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान सामुदाय आधारित मॉनिटरिंग है, जिसमें समुदाय का प्रतिनिधित्व शाला प्रबंधन समिति करती है।

इन समितियों में बच्चों के तीन चौथाई सदस्य पालक होते है। अधिनियम के प्रावधान अनुसार यह समितियां शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं में गठित की गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का पिछले पॉच वर्ष का अनुभव रहा है कि शाला प्रबंधन समितियां अपनी भूमिका सशक्त ढ़ग से नहीं निभा पा रही हैं। इसके प्रमुख कारण समिति के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारी एवं भूमिका का ज्ञान न होना, समिति की बैठकों में कम सदस्यों की सहभागिता, मॉनिटरिंग हेतु परंपरागत निरीक्षण प्रणाली को अपनाना एवं समिति सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा मॉनिटरिंग कार्य हेतु एक–दूसरे का पूरक होने की समझ का न होना है।

संस्थान द्वारा श्री एल.एस. बघेल, आई.ए.एस. सेवानिवृत्त एवं पूर्व आयुक्त, लोक शिक्षण के सहयोग से ''Strengthening of School Governance'' विषय पर एक ''स्ट्रेटजी पेपर'' तैयार करने का कार्य UNICEF एवं राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग से किया जा रहा है। स्ट्रेटजी पेपर में मुख्य रूप से निरीक्षण आधारित परंपरागत मॉनिटरिंग के स्थान पर अवलोकन आधारित मॉनिटरिंग का प्रस्ताव है। स्ट्रेटजी पेपर में मॉनिटरिंग हेतु साप्ताहिक, मासिक एवं त्रै–मासिक संकेतक प्रस्तावित किये गये है। साथ ही इन संकेतकों की किस तरह से मॉनिटरिंग की जानी है, इसकी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। स्ट्रेटजी पेपर को संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से विचार–विमर्श कर अंतिम रूप दिया गया है। इस स्ट्रेटजी पेपर में प्रस्तावित व्यवस्था का पॉयलेट आधार पर 05 चयनित जिलों में क्रियान्वयन आगामी वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

2.6 संस्थान के आई.एस.ओ 9001:2008 प्रमाणीकरण हेतु पहल–

संस्थान की गुणवत्ता, प्रभावशीलता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये संस्थान द्वारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने एवं आई.एस.ओ 9001:2008 सर्टिफिकेशन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। आई.एस.ओ 9001:2008 क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्वलिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, को तकनीकी सलाहकार नांमाकित किया गया है। सलाहकार संस्था के

सहयोग से संस्थान में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किये जाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई है। इस रूपरेखा की सतत् मॉनिटरिंग हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए संस्थान की क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी मेन्युअल तथा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की मानक संचालन प्रक्रिया (Standerd Operating Procedure) का निर्माण किया गया है।

आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण हेतु ntertek नामक संस्थान का चयन किया गया है। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा Stage-1 ऑडिट का कार्य पूर्ण किया गया है। Stage-2 ऑडिट आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है, जिसके आधार पर संस्था को आई.एस. ओ 9001:2008 सर्टिफिकेशन प्राप्त हो सकेगा।

2.7 नवाचारों का डाक्यूमेंटेशन–

संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य प्रदेश के नवाचारों का डाक्यूमेंटेशन कर प्रचार–प्रसार करना है। संस्थान द्वारा भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बेस्ट प्रेक्टिस डाक्यूमेंटेशन योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रदेश के दो नवाचारों का डाक्यूमेंटेशन का कार्य प्रारंभ किया गया है।

1. "Awasiya Yojna" for Saharia Tribe in Karahal Block of Seopur District.
2. CATCH- Care and treatment of child heart, Indore district.

संस्थान द्वारा यह कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

––00––

अध्याय– तीन

वित्तीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के लिए रूपये 550.00 लाख का बजट प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित था–

मद		राशि (लाख में)
001 – अद्योसंरचना अनुदान	–	000
002 – संधारण अनुदान	–	550
योग	**–**	**550**

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल का संस्थान में समायोजन होने से प्राप्त राशि के कारण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान हेतु उपरोक्तानुसार प्रावधानित बजट से संस्थान द्वारा वर्ष 2014–15 में कोई भी राशि आहरित नहीं की गई।

––00––

अध्याय– चार

नवीन नियुक्तियॉं

4.1 संस्थान के महानिदेशक की नियुक्ति–

संस्थान के पूर्णकालिक महानिदेशक के चयन के लिए राज्य शासन द्वारा आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए थे। मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनो के आधार पर श्री पदमवीर सिंह, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन महानिदेशक के पद हेतु किया गया। महानिदेशक द्वारा आगामी वर्ष 2015–16 में कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

4.2 संस्थान मे प्रबंधक (वित्त) के पद पर नियुक्ति–

संस्थान में प्रबंधक (वित्त) पद के लिए चयन हेतु जनवरी 2014 मे आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उम्मीदवारो को चयन प्रक्रिया अंतर्गत साक्षात्कार के लिए आंमत्रित किया गया। साक्षात्कार में चयन उपरांत श्री गिरीष त्रिवेदी द्वारा संस्थान के प्रबंधक (वित्त) के रूप में माह सितम्बर 2014 में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

––00––

अध्याय– पाँच

कोर स्टॉफ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग

5.1 श्री अखिलेश अर्गल, संचालक आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में ''**सूचना का अधिकार**'' विषय पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के रूप में नियमित रूप से अपनी सेवाऐं दी हैं।

5.2 "Awards for Excellance in e-Governance intiatives in the State for the Year 2013-14"– श्री अखिलेश अर्गल, संचालक ने सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा दिए जा रहे उपरोक्त पुरस्कारो के चयन की ज्यूरी समिति में सदस्य के रूप मे अपनी सेवाए दी।

5.3 श्री सौरभ बन्सल, कार्यक्रम समन्वयक (ज्ञान प्रंबधन) ने **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय) भोपाल** द्वारा स्थानीय निकाय के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 'Public Service Guarantee Act, 2010' विषय पर रिसोर्स व्यक्ति के रूप में अपनी सेवाएं दी है। साथ ही श्री बंसल द्वारा "Awards for Excellance in e-Governance intiatives in the State for the Year 2013-14" अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाए दी है।

––00––

अध्याय– छः

संस्थान की गवर्निंग बॉडी एवं एक्जीक्यूटिव बॉडी

6.1 संस्थान की गवर्निंग बॉडी–

संस्थान की गवर्निंग बॉडी निम्नानुसार है–

क्रमांक	पद नाम	पद
1	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन	अध्यक्ष
2	मंत्री, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
3	मंत्री, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
4	मंत्री, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
5	मंत्री, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
6	मंत्री, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
7	मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	सदस्य
8	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, भोपाल	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
11	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
12	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
13	सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य

14	निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, इन्दौर	सदस्य
15	निदेशक, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल	सदस्य
16	महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, भोपाल	सदस्य सचिव

6.2 संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी–

संस्थान की एक्जिक्यूटिव बॉडी निम्नानुसार है–

क्रमांक	पद नाम	पद
1	महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग	सदस्य
5	गवर्निंग बॉडी की सूची में स.क्र. 15 से 17 में से तीन सदस्य चक्रानुक्रम से	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग	सदस्य
8	राज्य शासन द्वारा नामांकित दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	सदस्य सचिव

परिशिष्ट–1

इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2014–15

S. No.	Name of Intern	Name of Institute	Department	Study Topic / Project Assigned
1	Mr. Mohit Chaudhary	IIT-Roorkee	Integrated Child Welfare Services (ICDS)	Development of Rating System for Anganwadi
2	Mr. Mukesh Kumar	IIT-Roorkee	Integrated Child Welfare Services (ICDS)	Study for Improvement and Marketing of Anganwadi Centres
3	Mr. Himanshu Garg	IIT-Kanpur	MP Housing & Infrastructure Development Board	Factors effecting Profitability of MP Housing & Infrastructure Development Board
4	Ms. Prajna Dhall Samant	IIT-Madras	MP Housing & Infrastructure Development Board	Causes of Cost Over Run In Housing Projects
5	Mr. Shishir Kumar	NAARM-Hyderabad	Water Resource Department	Impact Assessment of Harsi Irrigation Project
6	Mr. Mukesh Kumar	NAARM-Hyderabad	Water Resource Department	Impact Assessment of Aoda Irrigation Project